


चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालयों का प्रशासनिक विभाग है। यह विभाग इन महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों का भी प्रबंधन करता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालय जटिल, गंभीर एवं रेफर किये गये रोगियों के इलाज का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देश के स्वतन्त्र होने के समय राजस्थान में केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में स्थित था, परन्तु आज राजस्थान में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 16 दन्त महाविद्यालय स्थापित हैं। राज्य में वर्ष 2006 से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चिकित्सा शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय/संस्थान अब इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं परन्तु कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालयों द्वारा स्वयं का विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के कारण उनके कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित होने की दिनांक से सम्बद्ध है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्न प्रकार है:-



1. राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा दन्त कॉलेज

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र में 6 मेडिकल कॉलेज, 1 राजकीय सोसायटी द्वारा संचालित तथा 1-1 मेडिकल एवं दन्त कॉलेज (राज. स्वा. वि. वि. के संघटक महाविद्यालय) हैं। ये सभी मेडिकल कॉलेज तथा राजकीय दन्त कॉलेज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इन मेडिकल/दन्त महाविद्यालयों में प्रति वर्ष अधिस्नातक-स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैथ्याओं की संख्या इस प्रकार है-

(अ.) पाठ्यक्रमों का विवरण (मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता								
		अजमेर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर	झालावाड़	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्स, जयपुर
1.	एम.बी.बी.एस.	150	250	250	250	150	150	100	150	40
2.	पी.जी.(एम.डी.)	59	68	155	79	52	69	—	24	—
3.	पी.जी.(एम.एस.)	36	31	93	32	23	40	—	08	—
4.	पी.जी. (डेन्टल)	—	—	—	—	—	—	—	—	14
5.	पी.जी.(डिप्लोमा)	—	12	36	—	—	12	—	—	—
6.	डी.एम.	02	02	27	05	02	02	—	—	—
7.	एम.सी.एच.	—	02	44	03	—	04	—	—	—
8.	एम.एस.सी.(मेडिकल)	11	12	05	09	—	02	10	08	—
9.	बी.एस.सी.(नर्सिंग)	60	100	100	40	100	50	—	—	—
10.	एम.एस.सी.(नर्सिंग)	—	20	25	20	20	15	—	—	—
11.	पैरामेडिकल	110	20	146	60	40	10	—	—	—
योग		428	517	881	498	387	354	110	190	54

राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा की कुल 829 एवं सुपरस्पेशियलिटी की 93 सीटें हैं तथा डेन्टल में स्नातकोत्तर की कुल 14 सीटें हैं।

(ब.) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध संलग्न चिकित्सालयों में शैय्याओं की सूचना—

क्र.सं.	नाम कॉलेज	संलग्न चिकित्सालय	
		संख्या	शैय्याएँ
1.	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	12	5584
2.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	10	2929
3.	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	6	2186
4.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	5	2088
5.	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	3	1378
6.	मेडिकल कॉलेज, कोटा	4	1381
7.	मेडिकल कॉलेज, झालावाड	2	639
8.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1	402
राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के अन्तर्गत नवीन मेडिकल कॉलेज			
9.	मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा	1	300
10.	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर	1	300
11.	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	1	300
12.	मेडिकल कॉलेज, चुरू	1	300
13.	मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर	1	300
14.	मेडिकल कॉलेज, पाली	1	300
15.	मेडिकल कॉलेज, सीकर	1	300
16.	मेडिकल कॉलेज, अलवर	1	300
	योग	51	18987
17.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1	40
	योग	52	19027

उपरोक्त समस्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. तथा डिप्लोमा पाठयक्रम संचालित है। मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सभी सुपर स्पेशलिटी विषयों में डी.एम./एम.सीएच. पाठयक्रम तथा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कार्डियोलोजी विशिष्टता में डी.एम. पाठयक्रम एवं मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में डी.एम. (Cardiology) एवं Mch (Urology) पाठयक्रम संचालित है। डी.एम./एम.सीएच. पाठयक्रम प्रवेश क्षमता 93 छात्रों की है।

इन मेडिकल/दन्त कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम कॉलेज	सम्बद्ध अस्पताल
1.	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1. सवाई मानसिंह चिकित्सालय 2. जनाना चिकित्सालय 3. महिला चिकित्सालय 4. क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय 5. सर पद्मपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान 6. मनोचिकित्सा केन्द्र 7. संक्रामक रोग चिकित्सालय 8. गणगौरी अस्पताल 9. पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र (आर.आर.सी.) 10.सेठी कॉलोनी सेटेलाईट अस्पताल 11. बनीपार्क सेटेलाईट अस्पताल 12. कावंटिया अस्पताल
2.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1. महात्मा गांधी चिकित्सालय 2. कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय एवं संक्रामक रोग चिकित्सालय 3. उम्मेद चिकित्सालय 4. मथुरादास माथुर चिकित्सालय 5. मानसिक रोग चिकित्सालय 6. शिवराम नथुराम टांक चिकित्सालय मण्डोर 7. पावटा चिकित्सालय 8. महिलाबाग चिकित्सालय 9. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड चिकित्सालय 10. प्रताप नगर चिकित्सालय
3.	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1. महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय 2. पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय 3. सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन बडी, उदयपुर 4. पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र 5. श्री खेमराज कटारा राजकीय सेटेलाईट अस्पताल 6. सुन्दर सिंह भण्डारी सेटेलाईट अस्पताल
4.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1. पी.बी.एम. मर्दाना चिकित्सालय 2. पी.बी.एम. जनाना चिकित्सालय 3. जी.जी.जे.क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय 4. मानसिक रोग चिकित्सालय 5. गंगाशहर सेटेलाईट अस्पताल
5.	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	1. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय 2. राजकीय महिला चिकित्सालय 3. आदर्श नगर सेटेलाईट अस्पताल
6.	मेडिकल कॉलेज, कोटा	1. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय 2. जे.के. लोन चिकित्सालय 3. न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय 4. जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा
7.	मेडिकल कॉलेज, झालावाड	1. श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय 2. महिला चिकित्सालय
8.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1. जयपुरिया चिकित्सालय
9.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1. राजकीय दन्त अस्पताल, जयपुर

नवीन मेडिकल कॉलेज:—

क्र.सं.	नाम कॉलेज	सम्बद्ध अस्पताल
1.	मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
2.	मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
3.	मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
4.	मेडिकल कॉलेज, चुरू	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
5.	मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
6.	मेडिकल कॉलेज, पाली	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
7.	मेडिकल कॉलेज, सीकर	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय
8.	मेडिकल कॉलेज, अलवर	संबद्ध राजकीय चिकित्सालय

2. निजी मेडिकल कॉलेज तथा दन्त कॉलेज

राज्य के निजी क्षेत्र में वर्तमान में 8 मेडिकल कॉलेज तथा 15 दन्त कॉलेज संचालित हैं, जिनमें अधिसनातक पाठ्यक्रम में क्रमशः एम.बी.बी.एस की 1150 एवं बी.डी.एस. 1410 तथा विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्यापन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एवं भारतीय दन्त परिषद नई दिल्ली की अनुमति से अध्यापन कराया जा रहा है। निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर, निम्स विश्वविद्यालय से, पेसीफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, पेसीफिक विश्वविद्यालय से, पेसीफिक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, साई यूनिवर्सिटी, उदयपुर से, अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर राजसमन्द उदयपुर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से तथा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से, गीताजंली मेडिकल कॉलेज, उदयपुर गीताजंली यूनिवर्सिटी, उदयपुर से एवं जयपुर दन्त कॉलेज, जयपुर महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से पेसिफिक दन्त कॉलेज उदयपुर, पेसिफिक विश्वविद्यालय से इनके स्थापन की दिनांक से तथा राज्य के शेष दंत कॉलेज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध हैं। राज्य के निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता निम्नानुसार है:-

निजी मेडिकल कॉलेज

क्र.सं.	नाम कॉलेज	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	
		यू.जी.	पी.जी.
1.	महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर	150	76
2.	निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर	100	40
3.	गीताजंली मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, उदयपुर	150	57
4.	पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	150	0
5.	पेसिफिक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, उदयपुर	150	0
6.	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर	150	0
7.	अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर राजसमन्द उदयपुर	150	0
8.	अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	150	0
योग		1150	173

निजी दन्त कॉलेज

क्र.सं.	नाम कॉलेज	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	
		बी.डी.एस.	एम.डी.एस.
1.	दर्शन दन्त कॉलेज, उदयपुर	100	38
2.	पेसीफिक दन्त कॉलेज, उदयपुर	100	40
3.	जयपुर दन्त कॉलेज, जयपुर	100	44
4.	महात्मा गांधी दन्त कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर	60	36
5.	सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट,	100	24

	श्रीगंगानगर		
6.	राजस्थान डेन्टल कॉलेज, जयपुर	100	27
7.	जोधपुर डेन्टल कॉलेज, जोधपुर**	100	14
8.	एकलव्य डेन्टल कॉलेज, कोटपूतली (जयपुर)	100	00
9.	व्यास डेन्टल कॉलेज, जोधपुर	100	27
10.	निम्स डेन्टल कॉलेज, जयपुर	100	22
11.	दासवानी डेन्टल कॉलेज, कोटा	100	00
12.	महाराजा गंगासिंह डेन्टल कॉलेज, गंगानगर	100	00
13.	आर. आर. डेन्टल कॉलेज एण्ड होस्पिटल, उमरदा, उदयपुर	50	27
14.	गीतांजली डेन्टल कॉलेज, उदयपुर	100	00
15.	पेसीफिक डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर	100	0
	योग	1410	299

नोट— वार्षिक प्रवेश क्षमता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् एवं भारतीय दन्त परिषद् के निरीक्षण के आधार पर निर्भर रहती है।

**नोट:- Government of Rajasthan vide its letter no 3(5) education-4/2006 part dated 05.07.2016 has clearly decline admission at the college from the academic session 2016-17. In case any query or any dispute, kindly contact to the Government of Rajasthan. (as per dental Council of India website)

3. राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक विभागों में स्वीकृत पदों की स्थिति:-

राजकीय चिकित्सा/दन्त महाविद्यालयों में विषयवार एवं पद वार संकाय सदस्यों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक
		स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1.	एनाटोमी	7	18	23	32
2.	बायोकेमेस्ट्री	9	12	41	77
3.	फिजियोलोजी	8	16	21	30
4.	माइक्रोबायोलोजी	7	16	37	79
5.	फार्माकोलोजी	10	15	20	30
6.	पैथोलोजी	16	32	81	154
7.	फॉरेंसिक मेडिसिन	7	12	17	34
8.	पी एण्ड एस.एम.	10	16	26	30
9.	जनरल मेडिसिन	43	45	71	0
10.	जनरल सर्जरी	31	40	75	0
11.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	26	56	78	0
12.	ई.एन.टी.	11	14	17	1
13.	चर्म एवं रति रोग	12	9	14	0
14.	निश्चेतन	31	53	61	0

क्र.सं.	विभाग का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक
		स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
15.	मनोचिकित्सा	10	15	12	0
16.	वक्ष एवं क्षय रोग	15	12	21	0
17.	अस्थि रोग	18	30	36	0
18.	रेडियोडायग्नोसिस	11	18	65	1
19.	रेडियोथेरेपी	9	10	11	0
20.	शिशु औषध	30	27	60	0
21.	दन्त	5	6	8	4
22.	गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	6	5	13	0
23.	न्यूरोलोजी	7	5	10	0
24.	न्यूरोसर्जरी	8	12	21	0
25.	यूरोलोजी	6	8	9	0
26.	प्लास्टिक सर्जरी	2	5	6	0
27.	कार्डियोलोजी	10	10	17	0
28.	सीटी सर्जरी	6	6	19	0
29.	शिशु शल्य	5	7	10	0
30.	एन्डोक्रायोनोलोजी	1	2	3	0
31.	रेडियोलोजिकल फिजिक्स	2	1	8	4
32.	ऑफथल्मोलोजी	12	12	27	0
33.	फिजिकल मेडिसिन	4	6	12	2
34.	नेफ्रोलोजी	2	3	10	0
35.	शिशु न्यूरोलोजी	0	0	1	0
36.	शिशु नेफ्रोलोजी	0	0	1	0
37.	शिशु कार्डियोलोजी	0	0	1	0
38.	शिशु गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	1	0
39.	सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	2	0
40.	शिशु पल्मोनोलोजी	0	0	1	0
41.	शिशु नवजात	0	0	2	0
42.	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	5	0
43.	सर्जिकल ऑन्कोलोजी	1	1	3	0
44.	बायोफिजिक्स	1	0	4	1
45.	इमरजेन्सि मेडिसिन	9	9	17	0
46.	जेरियाट्रिक मेडिसिन	6	6	7	0
47.	न्यूक्लियर मेडिसिन	0	0	1	0
48.	फार्मसी	0	1	1	0
	योग	415	572	1007	479

4. नियुक्ति एवं पदोन्नति

वर्ष 2016-17 में शिक्षक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 03 पदों (सहायक आचार्य, ई.एन.टी.) के लिए अर्थनाएं भेजी गई। प्रदेश में विभिन्न

चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑफथलमोलोजी में 8 सहायक आचार्य, पैथोलोजी में 20 सहायक आचार्य, पी.एम.आर. में 03 सहायक आचार्य, बायोकेमिस्ट में 10 सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी में 28 सहायक आचार्य एवं बायोकेमिस्ट्री में 52 सीनियर डेमोस्ट्रेटर्स की नियुक्ति की गई। वर्ष 2016-17 में विभागीय पदोन्नति समिति/डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें आयोजित कर कुल 95 पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई।

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- प्रदेश में तीन नये निजी मेडिकल कॉलेज (अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, उदयपुर, जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर एवं अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, उदयपुर) प्रारम्भ। जिनकी प्रवेश क्षमता प्रति कॉलेज 150 है। कुल 450 यू.जी. सीटों की वृद्धि।
- झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 50 यू.जी. सीटों की वृद्धि।
- प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑफ्थलमोलोजी में 8 सहायक आचार्य, पैथोलोजी में 20 सहायक आचार्य, पी.एम.आर. में 3 सहायक आचार्य बायोकेमेस्ट्री में 10 सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी में 24 सहायक आचार्य एवं बायोकेमेस्ट्री में 50 सीनियर डेमोस्ट्रेटरर्स की भर्ती की गई।
- आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की सुपरस्पेशियलिटी विंग में अण्डर ग्राउंड पार्किंग का निर्माण पूर्ण।
- अजमेर में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी की सेवायें प्रारंभ कर दी गई हैं।
- राज्य में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में नैदानिक सुविधाओं को आमजन को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर उपलब्ध कराने के लिये अजमेर में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन एवं एम.आर.आई. तथा झालावाड़ में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ तथा अजमेर में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सुविधाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।
- बीकानेर मेडिकल कॉलेज में ट्रौमा सेन्टर तथा एम.सी.एच. विंग शुरू कर दी गई है तथा जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान शुरू कर दिया गया है।
- झालावाड़ में पीपीपी मोड पर नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया गया है।

6. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना:-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट भाषण वर्ष 2011-12 की बिन्दु संख्या 58 की क्रियान्विति के क्रम में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में वेहतर प्रबंध हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है। मनो चिकित्सा केंद्र, जयपुर के सामने वाली राजकीय भूमि पर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्थापित हो गया है।

7. निजी मेडिकल /दंत कॉलीजों हेतु शुल्क निर्धारण समिति एवं प्रवेश पर निगरानी समिति का गठन:-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 350/93 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटका सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14-8-2003 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका सं. 4862/03 विपुल गर्ग बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26-08-2003 की पालना में निजी मेडिकल/दन्त कॉलेज के लिए शुल्क हेतु शुल्क निर्धारण समिति तथा प्रवेश बाबत स्थाई समिति (प्रवेश पर निगरानी) के गठन के निर्देश दिये थे जिनकी अनुपालना में निम्न समितियों का गठन किया गया।

7.1 शुल्क रेगुलेटरी कमेटी

जस्टिस एस.एन. भार्गव, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में शुल्क रेगुलेटरी कमेटी का गठन सन् 2003 में किया गया था। यह समिति निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजों का शुल्क निर्धारण का कार्य करती है। साथ ही शुल्क संबंधी शिकायतों का निवारण का कार्य भी करती है। निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजों के एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. तथा एम.डी./एम.एस. तथा एम.डी.एस. (दन्त) पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु समय-समय पर बैठके आयोजित की गईं। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित शुल्क निर्धारित किया गया :-

एम.बी.बी.एस.(अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, उदयपुर एवं अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर, राजसमन्द, उदयपुर)	12.00 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.डी.एस.	02.30 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.डी./एम.एस.	06.00 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.डी.एस. (क्लिनिकल)	05.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.डी.एस. (नॉन क्लिनिकल)	04.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
जी.एन.एम	50 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.एस.सी (नर्सिंग)	70 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.बी.बी.एस.(झालावाड मेडिकल कॉलेज प्राईवेट सीट)	5.00 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.बी.बी.एस.(पैसेफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर)	7.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.फार्मा (निजी कॉलेज)	90 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.फार्मा (निजी कॉलेज)	70 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
डी.फार्मा (निजी कॉलेज)	45 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)

7.2 प्रवेश पर निगरानी समिति

इस समिति का गठन जस्टिस आई. एस. इसरानी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति द्वारा निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश दिये जाने बाबत प्रवेश परीक्षा का आयोजन किसी विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना इत्यादि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

8. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का गठन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा समरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया था। विश्वविद्यालय ने दिनांक 01-04-2006 से कार्य प्रारम्भ किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाया गया है।

विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को लगातार संशोधित एवं उन्नयन करने के लिए तथा कई विभागों एवं विषयों में सामन्जस्य के साथ अनुसंधान को प्रोत्साहित कर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान से विशिष्टता एवं गुणवत्ता के लिए प्रयत्नशील है।